vinetur

भारत की शीर्ष अदालत ने सैशे में बिकने वाली स्पिरिट्स पर प्रतिबंध पर विचार किया

याचिका में कहा गया है कि रंग-बिरंगी, फल-स्वाद वाली पैकेजिंग उपभोक्ताओं को भ्रमित करती है और नाबालिगों के लिए शराब हासिल करना आसान बनाती है

मंगलवार, 26 मई 2026



भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें Tetra Packs और सैशे में बेची जाने वाली स्पिरिट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। एक जनहित समूह का तर्क है कि रंग-बिरंगी पैकेजिंग और "green apple vodka" तथा "mango vodka" जैसे फल-स्वाद वाले नाम उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं और जोखिमपूर्ण शराब सेवन को बढ़ावा दे सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi तथा Vipul M. Pancholi की पीठ ने बुधवार को Community Against Drunken Driving नामक भारतीय गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर इस मामले की सुनवाई पर सहमति जताई। संगठन का कहना है कि मौजूदा आबकारी ढांचा शराब के विपणन के लिए बहुत अधिक गुंजाइश छोड़ देता है, जिससे उत्पाद फलों के रस या अन्य गैर-अल्कोहलिक पेयों जैसे दिख सकते हैं। अदालत ने भारत की प्रमुख शराब कंपनियों में से एक Globus Spirits और याचिका में नामित पेय निर्माता Wave Distilleries and Breweries से भी जवाब मांगा।

समूह के वकील Vipin Nair ने अदालत से कहा कि भारत के आबकारी नियमों में बोतल की परिभाषा अस्पष्ट है और स्पष्ट मानकों के अभाव में ऐसे अल्कोहलिक उत्पादों की बिक्री संभव हो जाती है जिनकी पैकेजिंग खरीदारों को भ्रमित कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य का दायित्व है कि वह भ्रामक लेबलिंग से नागरिकों की रक्षा करे। याचिका के अनुसार, कुछ पैक चमकीले रंगों और सेब, आम तथा अन्य फलों की तस्वीरों के साथ आते हैं, जबकि उनमें वोडका या अन्य स्पिरिट्स होती हैं।

अदालत ने कहा कि पैकेजिंग "बहुत भ्रामक" प्रतीत होती है और इससे कुछ लोगों को यह लग सकता है कि अंदर फलों का रस है। याचिका का तर्क है कि ऐसे उत्पाद शराब को छिपाना आसान बनाते हैं, उसे राज्य सीमाओं के पार ले जाना आसान बनाते हैं और नाबालिगों के लिए हासिल करना भी सरल बना देते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह प्रारूप सार्वजनिक स्थानों पर पीने और नशे में वाहन चलाने को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि ये पैक छोटे, आसानी से ले जाने योग्य और सामान्य बोतलों की तुलना में कम ध्यान खींचने वाले होते हैं।

एनजीओ ने अदालत से भारत की आबकारी व्यवस्था के तहत शराब की पैकेजिंग और बोतलबंदी के लिए देशव्यापी मानक तय करने का आग्रह किया है। उसकी मांग है कि केंद्र सरकार राज्यों को एक समान नीति अपनाने के लिए निर्देश दे, जिसके तहत Tetra Packs और सैशे में बिक्री पर रोक हो। समूह का कहना है कि इस तरह बेची जाने वाली शराब पर सिगरेट पैकों जैसी प्रमुख स्वास्थ्य चेतावनियां नहीं होतीं, जबकि उसके अनुसार इन उत्पादों से भी समान सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं।

The Times of India द्वारा उद्धृत टिप्पणियों में संगठन ने कहा कि "Bunty Premium Vodka," "Chilli Mango Vodka" और "Premium Romanov Vodka – Apple Thrill" जैसे लेबल यह दिखाते हैं कि शराब को स्पिरिट्स के बजाय फ्लेवर्ड पेयों जैसा दिखाकर बेचने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। संगठन ने कहा कि युवा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और जांच-पड़ताल से बचने के लिए फलों के नाम और चटख तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है।

यह मामला ऐसे समय आया है जब भारतीय नियामक शराब के विपणन, लेबलिंग और राज्य सीमाओं के पार प्रवर्तन को लेकर लगातार दबाव में हैं, क्योंकि आबकारी नियम राज्यों में काफी अलग-अलग हो सकते हैं। यदि अदालत याचिका पर आगे बढ़ती है, तो सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े शराब बाजारों में से एक में स्पिरिट्स को किस तरह पैक और बेचा जा सकता है।